



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उच्च माध्यमिक स्तर के किशोर बालिकाओं के व्यक्तिगत सामाजिक कारकों एवं सशक्तिकरण का अध्ययन

लेखक नीलम कुमारी

शोधार्थी

शिक्षा विभाग,

महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी,

जयपुर (राजस्थान)

सारांश

वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है परन्तु यदि सही मायने में देखे तो हम पाते हैं कि क्या महिलायें वास्तव में सशक्त हैं। आज की बात करें तो हम देखते हैं कि महिलायें अपने आर्थिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत कार्यों में पुरुषों की राय लेती हैं तथा शिक्षित होते हुए भी पुरुषों पर निर्भर हैं। समाज में भी सक्षम महिला होते हुए भी हीन महसूस करती हैं तथा अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इस शोध में विभिन्न योजनाओं में नामांकित किशोरियों में क्षमता विकास एवं उनमें सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध में 'एडोलेसेन्ट गर्ल्स इम्पावरमेंट स्केल' का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की गयी है तत्पश्चात् इन कार्यक्रमों की सफलता जानने के लिए 200 उत्तरदाताओं से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी है प्राप्त जानकारी का सारणीकरण कर सांख्यिकी आधार पर विप्लेषणात्मक मूल्यांकन का कार्य किया गया है।

Keywords: किशोरी सशक्तिकरण, क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाएं, क्षमता विकास, सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

पृष्ठभूमि विश्व में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है और उनमें से ज्यादा संख्या किशोरों की

है जिनमें किशोरियों की संख्या पूरी संख्या का 1/5 है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान इन्हीं के विकास पर देना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10-19 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को किशोरी के रूप में परिभाषित किया है, यह वह समय है जब किशोरियों को सबल बनाना हमारे सतत विकास का एक हिस्सा है। किशोरी बालिकाएं अपने आप की देखभाल में सफल हो सकें इसलिए उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जागरूकता का विकास करना जरूरी है ताकि वह अपना स्वस्थ भविष्य निर्माण कर सकें। किशोरवस्था मनुष्य के विकास की तीसरी अवस्था है यह बाल्यावस्था के बाद शुरू होकर प्रौढ़ावस्था शुरू होने तक चलती रहती है, परन्तु जलवायु एवं व्यक्तिगत भेदों के कारण किशोरवस्था की अवधि में कुछ अंतर आता है। यह वह अवस्था है, जिसका छात्रों पर तात्कालीन प्रभाव व दीर्घकालीक प्रभाव

दोनों ही देखने को मिलता है इस अवधि में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव दोनों ही सबसे अधिक दिखाई देते हैं। इस दशा में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, सही मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन से किशोरों को सही दिशा में जाने का मौका मिलता है। सशक्तिकरण एक व्यापक शब्द है जिसमें अधिकारों एवं शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश है यह एक ऐसी मानसिक व्यवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों सुरक्षात्मक प्रविधानों और उनके भली-भाँति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होती है। भारत के संदर्भ में इसे स्वस्थ आर्थिक विकास, शिक्षा व कानूनी अधिकार देने से देखा जाता है। किशोरी सशक्तिकरण का अर्थ उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी, आत्मविश्वासी और अपनी अस्मिता के प्रति सकारात्मक सोच वाला बनाना है ताकि वे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने में सक्षम हों और विकास कार्यों में भी उनकी भागीदारी हो सके। सर्वविदित है कि एक महिला ही राष्ट्र निर्माता होती है वह देश के विकास की गति को तेज करने की क्षमता रखती है। लेकिन सर्वप्रथम इनके आधारभूत जीवन का विकास आवश्यक है। यह आवश्यक है कि उन्हें पूर्ण पोषाहार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रशिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, नीतिनिर्माण, निर्णय प्रक्रिया में भी भाग लेने के अवसर दिये जाये ताकि एक स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक किशोरी आगे जाकर अपने परिवार समाज व देश के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। उसकी नैसर्गिक प्रतिभा कला कौशल सामर्थ्य रुचि जागरूकता को उजागर करने के लिए उसे सशक्तिकरण के माध्यम से विकास के उचित अवसर प्रदान करना अति आवश्यक है। सशक्तिकरण से अभिप्राय आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति को व्यक्ति और समुदाय में बढ़ाने से है। इसके फलस्वरूप क्षमतावान, सशक्त, विकासशील और आत्मविश्वास से युक्त महिला समूह निर्मित हो सकता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए एक वैश्विक अभियान, संयुक्त राष्ट्र महिला शाखा, *महिला शक्ति* को दुनिया भर में स्त्रियों की जरूरतों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया। सशक्तिकरण के अंतर्गत इस प्रकार की क्षमताओं को विकसित करने का लक्ष्य है: •



•स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता और उसके लिए पर्याप्त संसाधनों को पहचानने की

किशोरियों के लिए चलाई जा रही योजनाएं— सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम व योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जैसे— बालिका समृद्धि योजना, निशुल्क बालिका शिक्षा (इंदिरा गांधी इकलौती बालिका छात्रवृत्ति योजना), बालिका प्रोत्साहन योजना, धन लक्ष्मी योजना, किशोरी शक्ति योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, बटेरी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन आदि। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा राजस्थान अन्नपूर्णा दूध योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना, पर कार्य किया गया है।

उद्देश्य

- 1- किशोरीशक्ति योजना में सम्मिलित किशोरियों में क्षमता विकास का अवलोकन करना
- 2- किशोरीशक्ति योजना में सम्मिलित किशोरियों में सामाजिक, कानूनी व राजनैतिक जागरूकता विश्लेषण करना।
- 3- दोनों योजनाओं में सम्मिलित किशोरियों में सशक्तिकरण के स्तर का मूल्यांकन

शोध प्रविधि

यह अध्ययन राजस्थान के जयपुर जिले में किया गया है और यह अध्ययन किशोरी सशक्तिकरण में सरकार द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन पर आधारित है। जिनमें उन किशोरियों को सम्मिलित किया गया है जो इन योजनाओं में नामांकित हैं, विशेषकर दो योजनाओं का चुनाव किया गया है— दोनों योजनाओं से 200 किशोरियों का चयन किया गया है। अध्ययन में 'वर्णात्मक' अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है एवं सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुये अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया गया है इसके लिए 11 से 18 वर्ष की 200 उत्तरदाता किशोरियों का चयन किया गया है जो कि इन दोनों योजनाओं में नामांकित हैं। इस अध्ययन में स्ट्रैटी फाइड प्री-टेस्टेड क्वेश्चनेयर का प्रयोग किया गया है। क्षमता विकास एवं सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित 7 कथन हैं जिन पर किशोरियों की प्रतिक्रिया ली गयी है। इसके लिए 5 विकल्प निर्धारित हैं जिनके आधार पर इसका मूल्यांकन (बवतपदह) किया गया है। इसी के आधार पर किशोरियों में सशक्तिकरण के उच्च, मध्यम, और निम्न स्तर का मापन किया गया है। इस अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हुये शोध से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की गयी है, आंकड़ों का संग्रहण (विश्लेषण) सांख्यिकी विधि द्वारा ज्ञात किया गया है। प्रश्नावली से प्राप्त जानकारी एवं तथ्यों का सारणीकरण किया गया है सशक्तिकरण के दो क्षेत्रों क्षमता विकास एवं सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित विभिन्न कथनों को सारणी संख्या 1.1 से 1.13 तक दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 1.1 क्षमता विकास

मैं जानती हूँ कि अपने आर्थिक सशक्तिकरण हेतु मैं कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकती हूँ एवं उसे करने की योग्यता रखती हूँ।	उत्तरदाता 200	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	12	6%
2. असहमत	45	22.5%
3. न सहमत न असहमत	31	15.5%
4. सहमत	49	24.5%
5. पूर्ण सहमत	63	31.5%

इस सारणी में क्षमता विकास से सम्बन्धित इस क्षेत्र के कथन पर 31.5: किशोरियों ने पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह अपने सशक्तिकरण के लिए कोई भी व्यवसाय शुरू करने की योग्यता रखती हूँ तथा 6: किशोरियों ने इसे पूर्ण असहमति व्यक्त की। सारणी संख्या 1.2 क्षमता विकास

मैं आर्थिक रूप से सम्पन्न होने हेतु स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक रोजगार को शुरू करने की योग्यता रखती हूँ।	उत्तरदाता त्र 200द्व	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	36	18%:
2. असहमत	29	14%:
3. न सहमत न असहमत	37	18%:
4. सहमत	49	24%:
5. पूर्ण सहमत	49	24%:

इस सारणी में क्षमता विकास से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें जयपुर की 24.5: ने पूर्ण सहमति तथा इतनी ही किशोरियों सहमति व्यक्त की कि वह वैकल्पिक रोजगार को शुरू करने की योग्यता रखती है तथा 14.5: ने इससे असहमति व्यक्त की। सारणी संख्या 1.3 क्षमता विकास

मैं बिना किसी झिझक के सार्वजनिक स्थान पर अपरिचित लोगों से बात करने की क्षमता रखती हूँ।	उत्तरदाता त्र 200द्व	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	16	8%:
2. असहमत	27	13%:
3. न सहमत न असहमत	24	12%:
4. सहमत	57	28%:
5. पूर्ण सहमत	76	38%:

इस सारणी में क्षमता निर्माण से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें जयपुर की 38: किशोरियों ने पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह बिना किसी झिझक के सार्वजनिक स्थान पर अपरिचित लोगों से बात करने की क्षमता रखती हैं तथा 8: किशोरियों ने इस पर पूर्ण असहमति व्यक्त की। सारणी संख्या 1.4 क्षमता विकास

मैं बिना किसी झिझक के लड़कों से भी बात कर सकती हूँ।	उत्तरदाता त्र 200द्व	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	19	9%:
2. असहमत	22	11%:
3. न सहमत न असहमत	40	20%:
4. सहमत	55	27%:
5. पूर्ण सहमत	64	32%:

इस सारणी में क्षमता निर्माण से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें जयपुर की 32: किशोरियों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह बिना किसी झिझक के लड़कों से भी बात कर लेती है तथा केवल 9.5: ने इस पर अपनी पूर्ण असहमति व्यक्त की। सारणी संख्या 1.5 क्षमता विकास

मैं बिना किसी झिझक के अपने साथी समूहों के अधिकारों की चर्चा करने की क्षमता रखती हूँ।	उत्तरदाता त्र 200इ	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	18	9%:
2. असहमत	14	7%:
3. न सहमत न असहमत	28	14%:
4. सहमत	54	27%:
5. पूर्ण सहमत	86	43%:

इस सारणी में क्षमता निर्माण से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिस पर जयपुर की 43: किशोरियों ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह बिना किसी झिझक के अपने साथी समूहों के अधिकारों की चर्चा करने की क्षमता रखती है तथा केवल 7 ने इस बात पर असहमति व्यक्त की।

सारणी संख्या 1.6 क्षमता विकास

मैं बिना किसी झिझक के होने वाले विभिन्न अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता रखती हूँ।	उत्तरदाता त्र 200इ	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	16	8%:
2. असहमत	23	11%:
3. न सहमत न असहमत	32	16%:
4. सहमत	63	31%:
5. पूर्ण सहमत	66	33%:

इस सारणी में क्षमता निर्माण से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया है जिस पर जयपुर की 33 किशोरियों ने इस पर पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह बिना किसी झिझक के होने वाले अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता रखती है वही 8 ने इससे पूर्ण असहमति व्यक्त की। सारणी संख्या 1.7 क्षमता विकास

अपनी उम्र के अनुसार मैं हर कार्य करने का कौशल, आत्मविश्वास व योग्यता रखती हूँ।	उत्तरदाता त्र 200इ	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	8	4%:
2. असहमत	9	4%:
3. न सहमत न असहमत	15	7%:
4. सहमत	67	33%:
5. पूर्ण सहमत	101	50%:

इस सारणी में 50.5 प्रतिशत किशोरियों ने इस कथन पर पूर्ण सहमति व्यक्त की है कि वह अपनी उम्र के अनुसार प्रत्येक कार्य करने का कौशल, आत्मविश्वास व योग्यता रखती हैं जबकि 4 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर पूर्ण असहमति व्यक्त की है। सारणी संख्या 1.8 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

मैं अपने क्षेत्र के पार्षद का नाम जानती हूँ।	उत्तरदाता त्र 200इ	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	37	18%:
2. असहमत	29	14%:
3. न सहमत न असहमत	30	15%:
4. सहमत	53	26%:
5. पूर्ण सहमत	51	25%:

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें जयपुर की

25.5 किशोरियों द्वारा सहमति व्यक्त की कि वह अपने क्षेत्र के पार्षद का नाम जानती हैं। सारणी संख्या 1.9 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

रजिस्टर्ड विवाह क्या होता है, इसकी मुझे जानकारी है।	उत्तरदाता त्र 200द्ध	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	44	22%:
2. असहमत	31	14%:
3. न सहमत न असहमत	47	23%:
4. सहमत	52	26%:
5. पूर्ण सहमत	26	13%:

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। जिसमें जयपुर की 26: किशोरियों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की वही 13: ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की। सारणी संख्या 1.10 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

उत्तराधिकार क्या होता है उसके क्या कानून हैं मुझे जानकारी है।	उत्तरदाता त्र 200द्ध	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	28	14%:
2. असहमत	37	18%:
3. न सहमत न असहमत	34	17%:
4. सहमत	63	31%:
5. पूर्ण सहमत	38	19%:

इस सारणी में सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें जयपुर की 31.5 प्रतिशत किशोरियों ने इससे सहमति व्यक्त की कि उन्हें उत्तराधिकार कानून की जानकारी है।

सारणी संख्या 1.11 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

युवाओं में होने वाली नशीली दवाओं की लत की जानकारी मुझे है।	उत्तरदाता त्र 200द्ध	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	32	16%:
2. असहमत	37	18%:
3. न सहमत न असहमत	38	19%:
4. सहमत	37	18%:
5. पूर्ण सहमत	56	28%:

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें जयपुर की 28 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की वही 16 प्रतिशत ने इस पर अपनी पूर्ण असहमति व्यक्त की। सारणी संख्या 1.12 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

मुझे परिवार व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण ज्ञान है।	उत्तरदाता त्र 200द्व	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	10	5 ^० :
2. असहमत	19	9 ^५ :
3. न सहमत न असहमत	16	8 ^० :
4. सहमत	77	38 ^५ :
5. पूर्ण सहमत	78	39 ^० :

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक व कानूनी जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें जयपुर की 39 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की वहीं केवल 5 प्रतिशत ने अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की। सारणी संख्या 1.13 सामाजिक, राजनीतिक व कानूनी जागरूकता

मैं आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिये मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों के अनुसार सहायक/विकल्प व्यवसायों की भी जानकारी रखती हूँ।	उत्तरदाता त्र 200द्व	
	उत्तरदाता	प्रतिशत
1. पूर्ण असहमत	36	18 ^० :
2. असहमत	41	20 ^५ :
3. न सहमत न असहमत	42	21 ^० :
4. सहमत	37	18 ^५ :
5. पूर्ण सहमत	44	22 ^० :

इस सारणी में सामाजिक राजनैतिक व कानून जागरूकता से सम्बन्धित इस कथन पर दोनों समूहों की किशोरियों द्वारा दी गयी प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है जिसमें जयपुर की 22 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की कि वह आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों के अनुसार सहायक विकल्प व्यवसायों की भी जानकारी रखती है वहीं केवल 18 प्रतिशत किशोरियों ने इस पर पूर्ण असहमति व्यक्त की। उपसंहार किशोरियों के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जो उनके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ये योजनाएं किशोरियों में क्षमता निर्माण व सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता को भी बढ़ा रही हैं प्रस्तुत अध्ययन में इन योजनाओं में सम्मिलित किशोरियों का एडोलेसेन्ट गर्ल्स इम्पावरमेंट स्केल द्वारा इनके सशक्तिकरण स्तर का मापन किया गया है जिसमें जयपुर की 65.5 प्रतिशत किशोरियों का सशक्तिकरण का स्तर उच्च पाया गया है। 37.5 प्रतिशत किशोरियों का सशक्तिकरण का स्तर मध्यम पाया गया है इससे स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं में सम्मिलित किशोरियां कानूनी जागरूकता, राजनैतिक जागरूकता व सामाजिक जागरूकता रखती हैं इसके अतिरिक्त उनमें क्षमता विकास भी पाया गया। किशोरियां आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यवसायों की जानकारी और उन्हें करने की योग्यता रखती हैं। उन्हें वैकल्पिक रोजगारों की भी जानकारी है। इन योजनाओं में उन्हें वैकल्पिक रोजगारों की जानकारी दी जाती है व प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे वह भविष्य में अपनी जीविकापार्जन आसानी से कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं द्वारा उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसकी वजह से वे बिना भय के कहीं भी आ जा सकती हैं। किसी से भी बिना झिझक आसानी से बात कर सकती हैं। अपने अधिकारों की जानकारी होने से वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। बात कर सकती हैं। दूसरों के अधिकारों के लिए भी अपना योगदान कर सकती हैं। अपने तथा दूसरों के प्रति होने वाले अन्यायों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं किशोरियां अपनी आयु के अनुसार प्रत्येक कार्य करने की योग्यता रखती हैं व कर सकती हैं। किशोरियों को युवावस्था में होने वाली विभिन्न गलत आदतों नशीली दवाओं की जानकारी रखती हैं। जिससे वह अपना व अपने परिवार का बचाव इनसे कर सकती हैं व समाज को इनके बुरे परिणामों

के प्रति जागरूक कर सकती है। पोषण शिक्षा के द्वारा उन्हें अपने को स्वस्थ रखना भी सिखाया जाता है कहा जा सकता है कि ये योजनाएं किशोरियों का सशक्तिकरण करने में मदद कर रही है और अपने उद्देश्यों में भी सफल हो रही है। सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- 1- ओलाडिपो एस. ई –साइकोलॉजिकल इम्पावरमेन्ट एन्ड डेवलपमेन्ट
- 2- करुना 2012– इम्पावरिंग एडोलसेन्ट गर्ल्स
- 3- कुरुक्षेत्र पत्रिका 2006
- 4- चन्द्रा आर. – वुमेन इम्पावरमेन्ट इन इण्डिया माइलस्टोन्स एण्ड चैलेन्जर्स
- 5- डब्लू. निक.इन/स्कीम सबला.एचटीएम
- 6- डब्लू. डब्लू. डब्लू.भारत.जीवोओ.इन
- 7- डब्लू. डब्लू. डब्लू.यूपी.जीवोओ.इन
- 8- प्लानिंग कमीशन गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया : रिपोर्ट आफ इण्डिया द वर्किंग ग्रुप ऑन एडोलसेन्ट फार द टेन्थ फाइव इयर प्लान
- 9- योजना पत्रिका 2010
- 10- सुषमा के.– एडोलसेन्ट हेल्थ प्रोग्राम्स इन इण्डिया
- 11- श्रीवास्तव डी. एन. वर्मा पी. – बाल मनोविज्ञान : बाल विकास 14वां संस्करण प्रकाशक विनोद पुस्तक मन्दिर

